



गृह मंत्रालय

संघों/संगठनों को वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के लिए एक समय की छूट देने की अंतिम तिथि 14 जून, 2017 है

Posted On: 01 JUN 2017 4:53PM by PIB Delhi

सरकार ने विदेशी योगदान (नियमन) अधिनियम 2010 (एफसीआरए) के अंतर्गत पंजीकरण नवीकरण के लिए आवेदन करने वाले लेकिन वित्त वर्ष 2010-11 से 2014-15 के वार्षिक रिटर्न अपलोड नहीं करने वाले सभी संघों/संगठनों को एक अंतिम अवसर दिया है।

ऐसे सभी स्वयंसेवी संगठन 14 जून, 2017 तक आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दाखिल नहीं किये गये वार्षिक रिटर्न को अपलोड करें। जून, 2017 तक वार्षिक रिटर्न देर से दाखिल करने के लिए कोई यौगिक शुल्क नहीं लगेगा।

एफसीआरए सेवाओं के ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं :

<https://fcraonline.nic.in/home/index.aspx>

वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए यूजर गाइड उपलब्ध है :

https://fcraonline.nic.in/home/Documents/Instruction/FC4_returns.pdf

जीवाई/एकेजी/वाईबी -1575

(Release ID: 1491542) Visitor Counter : 10

